जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2025	21.05.2025	18-6-2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम
द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी

उपस्थित :– लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी ओमप्रकाश, मदनलाल व सतीश कुमार की ओर से

निर्णय

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक प.03( )रास्ता खोलो अभियान/राजस्व/205/1983 दिनांक 17.04.2025 मे दिये गये निर्देशों की अनुपालना मे श्रीमानजी से निवेदन है कि पटवारी हल्का, पटवार मंडल बाढकला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी की भूमि ख0न0 590 रकबा 1.41 है0 मे से 0.10 है0, ख0न0 592 रकबा 0.50 है0 मे से 0.06 है0, ख0न0 597 रकबा 2.35 है0 मे से 0.085 है0, ख0न0 606/1233 मे से 0.03 है0, ख0न0 605 रकबा 0.38 है0 मे से 0.075 है0, ख0न0 622 रकबा 0.96 है0 मे से 0.09 है0, ख0न0 601 मे से 0.01 है0 भूमि मे होकर मौके पर रास्ता चालू है एवं सार्वजनिक उपयोग मे काम मे लिया जा रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस मे इस रास्ते का अंकन नही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्तानुसार मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड, वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने रिपोर्ट पटवारी हल्का प0म0 बाढकलॉ, दिनांक 13.05.2025, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम अरनिया खाता संख्या 304, 272, 265, 244, 112, 07, 113 व नजरी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित खातेदारान को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:36:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे खातेदार श्रीराम गुर्जर, भरत सिंह, चरत सिंह, कांडूराम, देवीसिंह, रामकरण, रामकरण, बृजमोहन आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मे होकर पहुच मार्ग निकल रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे पक्का रास्ता दर्ज किया जाता है तो हम खातेदारान को इससे कोई आपत्ति नही है। ग्रामवासियों की सुविधा के लिए राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज करने का कष्ट करें।

प्रकरण मे ख0न0 597 के खातेदार अप्रार्थी ओमप्रकाश, मदनलाल व सतीश कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते अनुसार रास्ता दिया जाने मे इन्हे कोई आपत्ति नही है परन्तु भूमि ख0न0 597 मे अप्रार्थीगण के हिस्से की 1.42 है0 भूमि है जो पश्चिमी दिशा की है तथा पूर्वी दिशा की भूमि अन्य खातेदार की भूमि है इसलिए रास्ता निकालते समय अप्रार्थीगण के रकबे 1.42 है0 को पश्चिमी दिशा मे रखा जावे तथा शेष भूमि को पूर्वी दिशा मे रखा जावे।

प्रकरण मे प्रार्थीगण/खातेदारान आम जनता ग्राम अरनिया एवं बिदरख्या तह0 गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि ख0न0 594 व 593 ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी मे होकर भी मौके से रास्ता गुजर रहा है। अतः इन नम्बरों मे भी रास्ते का अंकन करने का कष्ट करें।

प्रार्थीगण/खातेदारान आम जनता ग्राम अरनिया एवं बिदरख्या तह0 गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भू अभिलेख निरीक्षक बाढकलॉ की रिपोर्ट चाही गई

भू अभिलेख निरीक्षक, बाढकलॉ एवं पटवारी पटवार हल्का, बाढकलॉ ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ख0न0 590, 592, 597, 606/1233, 622, 601 मे होकर मौके पर चालू रास्ते मे ख0न0 592 रकबा 0.50 है0 मे से 0.03 है0 तथा ख0न0 593 रकबा 0.09 है मे से 0.01 है0 मे भी होकर रास्ता गुजर रहा है। रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं अप्रार्थी ओमप्रकाश, मदनलाल, सतीश कुमार को सुना गया। अप्रार्थी ओमप्रकाश, मदनलाल व सतीशकुमार ने ख0न0 597 मे होकर चल रहे कदीमी रास्ते को दिये जाने मे कोई आपत्ति नही जताई है जहॉ तक ख0न0 597 के रकबे मे 1.42 है0 भूमि एकतरफ व शेष भूमि एकतरफ रखने [illegible] है तो प्रकरण मे भूमि का विभाजन नही किया जा रहा है [illegible] जो रास्ता चल रहा है और तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसके अनुसार ही इस नम्बर मे रास्ता निकाला जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2070 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

2073 खाता संख्या 304 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 605 रकबा 0.38 है0 भूमि भूरसिंह बैरवा, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 272 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 590 रकबा 1.41 है0 भूमि महेन्द्र सिंह फौजी, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 265 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 606/1233 रकबा 0.11 है0 भूमि हरफूल रैगर, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 07 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 592 रकबा 0.50 है0 भूमि ओमप्रकाश मीना, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 244 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 597 रकबा 2.35 है0 भूमि ऊदा रैगर, ओमप्रकाश मीना, कल्पना मीना, कुशाल रैगर, गंगा देवी मीना, जयकिशन रैगर, झूल्या रैगर, पन्ना रैगर, मदन लाल मीना, मनोज कुमार मीना, रेखा मीना, राजकुमार मीना, रामपति मीना, राहुल मीना, सतीश मीना, हरफूल रैगर, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 112 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 622 रकबा 0.96 है0 भूमि ग्यारसा रैगर, परभात्या रैगर, लक्ष्मण रैगर, लाली मेहतर, संजू वर्मा, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 113 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 601 रकबा 0.10 है0 भूमि परभात्या रेगर, रामनारायण रेगर, रामहेत रेगर, लक्ष्मण रैगर, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 176 ग्राम अरनिया के अनुसार ख0न0 593 रकबा 0.09 है0, ख0न0 594 रकबा 0.44 है0 भूमि रत्तीराम पुत्र लाला मीना की खातेदारी में दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी के अनुसार इस भूमि मे होकर रास्ता चालू है एवं सार्वजनिक उपयोग मे काम मे लिया जा रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में रास्ता अंकित नहीं है। तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं पटवारी हलका बाढकलॉ ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर को रास्ते के रूप में अंकित किए जाने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार, पटवारी एवं राजस्व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी की भूमि ख0न0 590 रकबा 1.41 है0 मे से 0.1[illegible] है0, ख0न0 [illegible] रकबा 0.50 है0 मे से 0.06 है0, ख0न0 597 रकबा 2.35 है0 मे से 0.[illegible] है0, ख0न0 606/1233 मे से 0.03 है0, ख0न0 605 रकबा 0.38 है0 मे से [illegible] है0, ख0न0 622 रकबा 0.96 है0 मे से 0.09 है0, ख0न0 601 मे से 0.01 है0, ख0न0 593 रकबा 0.09 है0 मे से 0.01 है0, ख0न0 594 रकबा 0.[illegible] है0 मे से 0.03 है0 भूमि को राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:38:09 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
[illegible]पुर सिटी (राज0)

प्रा0पत्र तहत धारा 131 एल.आर. एक्ट द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी

(4)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी की भूमि ख0न0 590 रकबा 1.41 है0 मे से 0.10 है0, ख0न0 592 रकबा 0.50 है0 मे से 0.06 है0, ख0न0 597 रकबा 2.35 है0 मे से 0.085 है0, ख0न0 606/1233 मे से 0.03 है0, ख0न0 605 रकबा 0.38 है0 मे से 0.075 है0, ख0न0 622 रकबा 0.96 है0 मे से 0.09 है0, ख0न0 601 मे से 0.01 है0, ख0न0 593 रकबा 0.09 है0 मे से 0.01 है0, ख0न0 594 रकबा 0.44 है0 मे से 0.03 है0 को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि के खातेदारी सम्बन्धी इन्द्राज पूर्ववत दर्ज रहेंगे केवल जमाबंदी के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज होगी एवं इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावेगी। प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का हिस्सा रहेगा। निर्णय की प्रति उपरोक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18-6.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested